



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या :334 / 2012.....

जिला : जयपुर.....

उनवान : मै0 जिरोक्स इण्डिया लि0 जयपुर, बनाम सीटीओ ए/ई, राजस्थान-द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.2015	<p style="text-align: center;">श्री मनोहर पुरी-सदस्य आशा कुमारी, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी विभाग के उपराजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा उपस्थित।</p> <p>पत्रावली पर अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र उपलब्ध है जिसमें अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी विचाराधीन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16) एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं तथा इस हेतु प्रकरण विद्रा (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>विभागीय पैराकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के इस प्रार्थना पत्र का कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया।</p> <p>फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तागत अपीलें विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 334 / 2012 / जयपुर जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर </div> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर </div> </div>	